<u>Bill No.31 of 2023</u>

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Tenancy (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment in section 48, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In section 48 of the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), hereinafter referred to as the principal Act, after the existing sub-section (2) the following new sub-section shall be added, namely:-

"(3) Any person, company or government entity involved in the setting up of a power plant based on renewable energy on its land may submit a proposal to the State Government to exchange any parcel of land in its possession as a tenant and adjacent to the land used for setting up of a power plant, with any parcel of government land falling within the land used for setting up of a power plant. The State Government may on examining such proposal, order for exchange of parcel of government land with the land offered to be exchanged by such person, company or government entity:

Provided that the land to be exchanged with the government land should be equivalent or higher in market value as determined by competent authority.

Explanation.- "market value" means the market value as defined in clause (xxiii) of section 2 of the Rajasthan Stamp Act, 1998 (Act No. 14 of 1999).".

3. Amendment in section 251-A, Rajasthan Act No. 3 of 1955.- In sub-section (1) of section 251-A of the principal Act, after the existing expression "widen an existing way is granted" appearing at the end and before the existing punctuation mark ".", the expression "or in lieu of payment of compensation, on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land" shall be inserted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The State of Rajasthan permits any person, company or government entity to set up a power plant based on renewable energy on agricultural land. But it has been often seen that setting of such plant gets impeded due government land falling within the project area. Presently, there is no provision of exchange of any land belonging to person or company with the government land in the Rajasthan Tenancy Act, 1955. As setting up of such power plants is of great public importance, the Government has decided to make provisions of exchange of government land with any land belonging to such person, or company or government entity. Accordingly, section 48 is proposed to be amended suitably.

Similarly, Clause (1) of section 251-A of the Rajasthan Tenancy Act,1955 provides that where a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation or where a tenant or group of tenants intends to have a new way or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants may apply for such facility to the concerned Sub-Divisional officer, who after inquiry, if satisfied may provide for such way on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional officer.

Existing provisions of this section provides for only one option i.e. of compensation to the khatedar through whose holding

facility of pipeline or a new way or enlargement of existing way is allowed. It has come to the knowledge of State Government that khatedars with small or nominal holdings are left with little land for cultivation when they have to concede part of their holding to other tenants for the said facilities. So it has been decided by the State Government to provide with another option i.e. in lieu of payment of compensation, transfer of land in exchange of equal area in the name of such khatedar or tenant. Accordingly section 251-A of the said Act of 1955 is proposed to be amended suitably.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

रामलाल जाट,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN TENANCY ACT, 1955
(Act No. 3 of 1955)

XX XX XX XX XX XX

251-A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another Khatedar's holding or enlarging the existing way.- (1) Where -

(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or

(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings

and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved-

may, by order, allow the applicant , to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way, not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional

Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted..

(2) to (3) xx xx xx xx xx
XX XX XX XX XX XX

2023 का विधेयक सं.31

प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

राजस्थान अभिधृति संशोधन) विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान अभिधृति संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 48 का संशोधन.- राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 1955 का अधिनियम सं. 3), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 48 की विद्यमान उप-धारा 2) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उप-धारा जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

3) नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित किसी शक्ति संयंत्र को, अपनी भूमि पर स्थापित करने में अंतर्वलित कोई व्यक्ति, कम्पनी या सरकारी इकाई राज्य सरकार को शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के पार्श्वस्थ और अभिधारी के रूप में उनके कब्जे में किसी भूमि के खण्ड को, शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए उपयोग में ली गयी भूमि के भीतर आने वाली सरकारी भूमि के किसी खण्ड के साथ विनिमय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकेंगे। राज्य सरकार ऐसे प्रस्ताव का परीक्षण करने पर, ऐसे व्यक्ति, कम्पनी या सरकारी इकाई द्वारा विनिमय किये जाने के लिए प्रस्थापित भूमि के साथ सरकारी भूमि के खण्ड के विनिमय के लिए आदेश कर सकेगा:

परंतु सरकारी भूमि के साथ विनिमय की जाने वाली भूमि का बाजार मूल्य, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित बाजार मूल्य के समान या उनसे उच्चतर होना चाहिए।

स्पष्टीकरण.- बाजार मूल्य से राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 1999 का अधिनियम सं. 14) की धारा 2 के खण्ड (xxiii) में परिभाषित बाजार मूल्य अभिप्रेत है।

3. 1955 के राजस्थान अधिनियम सं. 3 की धारा 251-क का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 251-क की उप-धारा 1) में आयी विद्यमान अभिव्यक्ति विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये के स्थान पर अभिव्यक्ति विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये या प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे अभिधारी के नाम विनिमय में अधिमानत: समान कीमत की और उसकी भूमि से लगी हुई भूमि के समान क्षेत्र का अंतरण किये जाने पर, प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान राज्य किसी व्यक्ति, कंपनी या सरकारी इकाई को कृषि भूमि पर नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित एक शक्ति संयंत्र स्थापित करने के लिए अनुज्ञात करता है। किंतु प्राय: यह देखा गया है कि ऐसे संयंत्र की स्थापना, सरकारी भूमि के परियोजना क्षेत्र के भीतर आ जाने से अवरुद्ध हो जाती है। वर्तमान में, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 में किसी व्यक्ति या कम्पनी की किसी भूमि को सरकारी भूमि के साथ विनिमय किये जाने का कोई उपबंध नही है। यथा बड़ा सामाजिक महत्व रखने वाले ऐसे विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए, सरकार ने ऐसे व्यक्ति, या कम्पनी या सरकारी इकाई की भूमि को सरकारी भूमि के साथ विनिमय के उपबंध बनाये जाने का विनिश्चय किया है। तद्नुसार, धारा 48 को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

इसी तरह, राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 251-क का खण्ड 1) उपबंध करता है कि जहां कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है, या कोई अभिधारी या अभिधारियों का समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंच के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहते हैं या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहते हैं और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे जो जांच के पश्चात्, यदि उसका समाधान हो जाये तो ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, ऐसे मार्ग के लिए उपबंध कर सकेगा।

इस धारा के विद्यमान उपबंध ऐसे खातेदार, जिसकी जोत से होकर पाइपलाइन की सुविधा या किसी नये मार्ग या विद्यमान मार्ग को विस्तारित किया जाना अनुज्ञात हुआ हो, को एक मात्र विकल्प अर्थात् प्रतिकर का उपबंध करते हैं। राज्य सरकार के ध्यान में यह आया है कि जब उक्त सुविधाओं के लिए उन्हें अपनी जोत का भाग अन्य खातेदारों

के लिए छोड़ना पड़ता है, तब छोटी या नाममात्र की जोतों वाले खातेदारों के पास खेती के लिए बहुत कम भूमि बचती है। अत: राज्य सरकार द्वारा अन्य विकल्प प्रदान करने अर्थात् प्रतिकर के संदाय की एवज में, ऐसे खातेदार या अभिधारी के नाम विनिमय में भूमि के समान क्षेत्र का अन्तरण किए जाने, का विनिश्चय किया गया है। तदनुसार 1955 के उक्त अधिनियम की धारा 251-क को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

रामलाल जाट,

प्रभारी मंत्री।

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX XX

251-क. अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना.- 1) जहां -

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है; या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंधित उप-खण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उप-खण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि-

(i) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है; और

(ii) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है-

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अधिक चौडा न

हो, बनाने के लिए या विद्यमान मार्ग को तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उप-खण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

2) से 3) **XX XX XX XX XX XX**

XX XX XX XX XX XX XX

Bill No. 31 of 2023

THE RAJASTHAN TENANCY (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Tenancy Act, 1955.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ramlal Jat, **Minister-Incharge**)

<u>**2023 का विधेयक सं. 31**</u>

राजस्थान अभिधृति संशोधन) विधेय क, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(रामलाल जाट, **प्रभारी मंत्री)**